अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

फोटो निविदा दाता

साफ–सफाई कार्य हेतु

(ई–तकनीकी निविदा प्रपत्र)

निविदा सूचना क्रमांक/दिनांक	:	क्रमांक– अमअ/संस्थापन/143 दिनांक 23.08.2024
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक	:	दिनांक– 23.08.2024
निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक	:	दिनांक– 18.09.2024 – [redacted]
निविदा खोलने की दिनांक	:	दिनांक– 20.09.2024 – [redacted]
निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि	:	500/– प्रति फार्म /– (प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम)
ई–प्रोसेसिंग शुल्क	:	500/– /– (प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम) (उक्त समस्त राशि निविदा खोलने से पूर्व महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।)
अनुमानित लागत	:	20.00 लाख वार्षिक
कार्य की अवधि	:	अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष 2024–25, 2025–26

1. रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता संस्था का नाम :–..
   ....
2. संस्था का प्रकार (एन0जी0ओ0/फर्म क0/सह0समिति/अन्य) :–..
   ....
3. अध्यक्ष/मालिक का नाम :–..
4. स्थाई पता :–..
   ....
   ....
5. टेलीफोन न0 :–..
   1. कार्यालय :–..
   2. मोबाईल न0 :–..
6. श्रम/रोजगार विभाग से पंजिकृत होने सम्बन्धी पंजीयन क्रमांक व दिनांक :–..
   ....
7. PAN No. :–..
8. विभाग से पत्र व्यवहार करने हेतु हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम मय पूरा पता फोन न0 :–..
   ....
   ....
   ....

(कुल पृष्ठ सं. 01 से 09)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राज्य सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

रा.रा.मार्ग नं.–48 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास, अजमेर, 305025

अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में सफाई कार्य बिना साम्रगी करने हेतु निविदा की शर्तें

1. अनुबंध की अवधि दो वर्ष की होगी लेकिन कार्य करने की क्षमता व अनुभव को ध्यान में रख कर कार्यादेश पहले तीन माह हेतु दिया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि आगें बढ़ाई जा सकेगी । दो वर्ष के पश्चात् कार्य अवधि को आपसी सहमति द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
2. संस्थान प्रशासन द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जो कि डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक द्वारा देय होगी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निविदा निष्पादन सुरक्षा धरोहर राशि रू. 40,000/- प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम घोषणा पत्र स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
5. निविदादाता का आयकर निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र व पेन कार्ड की प्रति ठेका श्रम अधिनियम 1970 के नियम 82 (1) के अन्तर्गत फार्म संख्या 24 में होना चाहिये। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगी।
6. अगर उक्त अनुबंध अथवा करार के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
7. निविदादाता को सफाई का कार्य महाविद्यालय/संस्था. में करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर ठेका श्रम अधिनियम 1970–71 के नियम 25(1) के तहत लाईसेंस फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत 6 की प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक है।
9. ठेकेदार का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने एवं उसके द्वारा कोई भी नियमाविरूद्ध कार्यवाही करने की स्थिति में 7 दिवस के नोटिस के पश्चात् ठेका समाप्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार को केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा तथा उन नियमों के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

11. सेवाओं के लिए दर राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (प्रस्तुत प्रति श्रमिक दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो तथा न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर सेवा एवं अन्य शुल्क मय पी.एफ. ई.एस. आई. इत्यादि शामिल कर) राशि प्रति सफाई श्रमिक भुगतान करें। तथा केन्द्र / राज्य सरकार के समय पर जारी नियमानुसार भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। **बिना वित्तिय शर्त के देनी होगी।** तथा राज्य सरकार का आदेश एफ 2(1)एएसपीएफसी–2017 दिनांक 30.04.2018 क्रमांक 1 के अनुसार भुगतान किया जायेगा। सशर्त निविदा अस्वीकार की जा सकेगी।
12. सफाई कार्य के दौरान ठेकेदार के सफाई श्रमिकों द्वारा जाने–अनजाने में संस्थान की सम्पति को कोई नुकसान पंहुचाता है तो उस सम्पति के नुकसान के हर्जाने की रकम ठेकेदार को देनी होगी और यदि वह यह प्रतिभूति रकम जमा नही कराता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह रकम उसके बिल में से काट ले।
13. समय पर सफाई कार्य न करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा ठेकेदार के खर्चे पर यह कार्य करवाया जा सकता है और उसका पूर्ण व्यय ठेकेदार के बिल में से काट लिया जावेगा।
14. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से ठेकेदार के श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। ठेकेदार एवं श्रमिकों के मध्य पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। महाविद्यालय इसमें किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं बनेगा।
15. विशेष उत्सवों एवं संस्थान में आयोजित कार्यक्रमों पर सफाई की पूरी व्यवस्था समय पर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। विशेष उत्सव व अवकाश के दौरान अवश्यकता होने पर सफाई कार्य करवाना होगा।
16. संस्थान में आवश्कयता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी संस्थान के परिसर सड़कों की सफाई आदि कराई जा सकेगी।
17. ठेके के कार्य का बिल (तीन प्रतियों में) प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान एकाउंट पेयी चैक अथवा NEFT के द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर किया जायेगा। यदि निश्चित दिनांक पर बिल प्रस्तुत नही किया जावेगा तो विलम्ब के लिए संस्थान की जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार के सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
18. ठेकेदार को ठेका मिलने के उपरान्त महाविद्यालय में एक अण्डर टेकिग (निर्धारित शुल्क रू. 500/– पर Non Judicial stamp) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि उसके द्वारा कार्य का बिल प्रतिमाह 7 कार्यदिवस में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर बिल सत्यापित कराने के पश्चात् लेखाशाखा में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी एक्ट के अन्तर्गत श्रमिकों को भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। यदि सफाई श्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायत होगी तो भुगतान को रोककर नियमानुसार सीधा ही भुगतान श्रमिकों को संस्था द्वारा किया जा सकेगा जिसकी वसूली प्रतिभूति /बकाया बिल से करने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

19. निश्चित् कार्य अवधि के अतिरिक्त अगर श्रमिक से कार्य लिया जाता है तो उसका अतिरिक्त पारिश्रमिक नियमानुसार ठेकेदार द्वारा ही देय होगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

20. निविदादाता को PF व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का स्वयं के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा। PF तथा ESI का निविदा में अंकित दर से अलावा अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा इस हेतु रजिस्ट्रेशन कराया जाना ठेकेदार के स्तर पर अनिवार्य होगा। जिसे एक माह में रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा उसके पश्चात् ही प्रथम बिल का भुगतान किया जावेगा। **निविदादाता ऐजेन्सी चार्जेज/कमीशन शून्य अंकित नहीं करें।**

21. निविदा ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से ही की जायेगी।

22. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्था/ठेकेदार) द्वारा अजमेर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र नहीं।

23. ठेकेदार को राज्य सरकार से नियमानुसार श्रमिक आपूर्ति रखने / प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी का लाइसेंस होना आवश्यक होगा।

24. सफाई कार्य में अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सभी भवनों जो कि महाविद्यालय परिसर में स्थित है के सभी कमरो, लैब, संकाय सदस्य कक्ष, सभी कार्यालय, अतिथि भवन, छात्रावास, टॉयलेटो, कोरिडोर, बरामदा, पोर्च, केन्टीन, सड़कें एवं भवन के आगे व पीछे सडकों, मैदान (अर्थात सम्पूर्ण परिसर) इत्यादि का सफाई कार्य शामिल होगा सफाई के दौरान जमा कचरे का निष्पदान प्रभारी अधिकारी की सहमति से महाविद्यालय के परिसर से बाहर करना होगा। होगा। अगर सफाई कार्य नहीं होता है तो प्रति दिन प्रति व्यक्ति 600 रू की दर से बिल की कटौती की जावेगी। सफाई कार्य में कमी पाए जाने पर प्रभारी की सिफारिश अनुसार राशि की कटौति की जा सकेगी।

25. बरामदें कार्यालय परिसर व अन्य निर्धारित स्थानों पर दिन में दो बार फिनायल से पोछां लगाना होगा।

26. निविदादाता को निविदा पत्र पर दिए गए खण्ड़ में स्वयं का एक फोटो आवश्यक रूप से चश्पा करनी होगी एवं राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित प्रति जमा करानी होगी।

27. सफाई कार्य निविदा अनुसार संबंधी समस्त सामग्री उत्तम क्वालिटी की यथा फिनाईल, साबुन, मिट्टी का तेल, होमोकोल, ऑडोनिल / फिनाईल की गोलियां, वाशिंग पाऊडर झाडू, पोंचे, डस्टर, ब्रुश की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार को उपलब्ध करा दी जायेगी। खिड़कियों (फ्रेम व पल्लों को झाडू से झाड़ना, दिवारों के कोनों, छत की सफाई) हेतु सामग्री महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

28. सफाई श्रमिकों की वर्दी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। और सफाई करते समय हमेशा वर्दी पहननी होगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

29. सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग – II के नियम 68 में वर्णित सभी शर्तें लागू होगी एवं **राज्य में दिनांक 26.01.2015 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 & 2013 लागू है अतः उसमें वर्णित सभी शर्तें एवं प्रावधान उक्त निविदा में लागू होगें।**

30. महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम दर / सर्विस चार्ज की निविदा को स्वीकार करना या ना करना प्राचार्य के अधिकार में होगा।

31. जिन निविदादाता की सेवाऐं पूर्व में संतोषजनक नहीं रही उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

32. दरें तुलनात्मक दृष्टि से संतोषजनक / स्वीकार्य होने पर अजमेर शहर की फर्म / प्रोपराईटर को प्राथमिकता दी जा सकती हैं।

33. भारत सरकार / राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैशलेस प्रक्रिया के अन्तर्गत फर्म के श्रमिकों उनके खाते में NEFT / RTGS से भुगतान करना होगा या अन्य निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

34. **महाविद्यालय द्वारा प्रशासनिक / अन्य कारणों से संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान में विलम्ब हो सकता है लेकिन निविदादाता को प्रतिमाह दिनांक 01 से 07 तारीख तक उसके अधीन कार्यरत समस्त श्रमिकों को भुगतान स्वंय के स्तर पर करना आवश्यक है। इस संबंध में महाविद्यालय को किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।**

35. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा : –

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1958 के अन्तर्गत				

36. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

37. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

38. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय – समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
39. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल के भुगतान किया जायेगा।
40. राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की समय – समय पर जारी अधिसूचनाओं वर्तमान में जारी सूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/7182 दिनांक 06.03.2019 एवं राजस्थान सरकार के वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 की पालना करना अनिवार्य है।
41. **श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। महाविद्यालय द्वारा केवल मासिक राशि जो अंकित की गई है, उसका भुगतान ही किया जायेगा। महाविद्यालय में साफ – सफाई हेतु श्रमिकों की संख्या 08 होगी एवं महाविद्यालय संचालन के समय प्रत्येक मुख्य भवन में 01 सफाई श्रमिक उपलब्ध रहेगा। कुल श्रमिकों की संख्या 08 होगी। यह सुनिश्चित कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा।**
42. महाविद्यालय की सम्पूर्ण परिसर की साफ सफाई का दायित्व निविदादाता का होगा।
43. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
44. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
45. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
46. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एव सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

47. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

48. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

49. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

50. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

51. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

52. निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

53. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

54. अन्य समय – समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

55. सफाई कार्य का ठेका प्रथमतः 02 वर्ष के लिए दिया जायेगा। कार्य की सन्तुष्टी होने पर इसे अगले एक वर्ष के लिए आपसी समझौते से बढाया जा सकेगा।

56. **ठेकेदार को सम्पूर्ण परिसर की सफाई महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।**

57. बोलीदाता को ठेके की कुल वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत परफोमेन्श सुरक्षा के रूप में रू. 1,00,000/– ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी, जो प्राचार्य, राज0 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। इसमें पूर्व में जमा ई.एम.डी. का समायोजन किया जायेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

58. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है।
59. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आएगी। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी.एस.सी. (DSC) स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
60. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
61. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय है जिसके दिशा निर्देश भी लागू होंगे।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

कृपया निम्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है :–

1. अमानत राशि की फोटोप्रति : हां ☐ नहीं ☐
2. श्रम विभाग से इस कार्य के रूप में पंजीकृत होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति। 1970 के श्रम विभाग के अनुसार होना चाहिये। : हां ☐ नहीं ☐
3. सर्विस टैक्स / जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
4. निविदा शर्त अनुसार ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के जमा चालान का राज्य सरकार / भारत सरकार से पंजीयन की संख्या : –

क्र0स0	ई.पी.एफ. संख्या	ई.एस.आई. संख्या
1.		

5. जीएसटी/सर्विस टैक्स लागू होने पर जमा कराने हेतु सर्विस टैक्स संख्या : –

क्र0स0	सर्विस टैक्स संख्या
1.	

6. एन0जी0ओ0 होने पर संस्था के विधान/संविधान की प्रति। : हां ☐ नहीं ☐
7. संस्था के पास निविदत्त कार्य के लिये उपलब्ध श्रम शक्ति की पूर्ण विवरण सहित सूची। : हां ☐ नहीं ☐
8. तीन वर्ष का सम्बंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा का प्रमाण। : हां ☐ नहीं ☐
9. पिछले तीन वर्षो का 20 लाख का टर्नओवर का प्रमाण पत्र। : हां ☐ नहीं ☐
10. निविदादाता फर्म/ऐजेन्सी को 3.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र। : हां ☐ नहीं ☐
11. फर्म के पास पूर्व 3 वर्ष में कम से कम 20 श्रमिक/कार्मिक कार्यरत होना आवश्यक है। : हां ☐ नहीं ☐
12. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का स्वयं का शपथ पत्र। (रू. 100/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)। : हां ☐ नहीं ☐
13. बैंक खाते की पासबुक मय फोटो : हां ☐ नहीं ☐

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

DECLARATION

[TO BE SUBMITTED ON 100 Rs. NONJUDICIAL STAMP PAPER]

I……………………………………………….Designation…………………………………………………………..of

(office Address)

…………………………………………………………………………………..…………[Res. Address] solemnly declare

That our firm/company ……………………………………………………………………….………..(Name of the firm)

Deals with supply of skilled/unskilled labours and has not been black listed anywhere in India.

Date:-

Place:-

Signature & Name of the Authorized
Signatory [TENDERER]

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राज्य सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

रा.रा.मार्ग नं.–48 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास, अजमेर, 305025

ई–वित्तीय निविदा/BOQ

1. निविदाता फर्म का नामः ....
2. कार्य का विवरणः साफ–सफाई मय सामग्री का कार्य हेतु : –

क्र0स0	विवरण	दर प्रतिमाह			अनुमानित कार्य का विवरण
		अंको में रूपये	शब्दों में रूपये		
1.	प्रति अकुशल श्रमिक तुल्य कार्य सम्पादन हेतु (राज्य सरकार के नियमानुसार)	ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर / जी.एस.टी. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार		अनुमानित आवश्यकता 08	समस्त महाविद्यालय परिसर की साफ–सफाई, सडके, कक्षा कक्ष, लैबें, पुस्तकालय, छात्रावास, केन्टीन परिसर, छतें, पोर्च, मेन गेट अन्य सम्पूर्ण महाविद्यालय सफाई का कार्य जो इसमें अंकित नहीं है।
2.	एजेन्सी चार्ज/कमीशन रूपये/प्रतिशत	....			

न्यूनतम 08 श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर जो वर्तमान में लागू है को ध्यान में रखते हुये ही दरें अंकित करें।

हस्ताक्षर निविदादाता :

नाम :

पूरा पता :

मोबाईल नम्बर :

ई--मेल :